☏ 2720383
2720384

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश,

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: **निदे0कैम्प/2011– 13** दिनांक: **24.02.2011**

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)/ निर्माण/ (वि0यां0)
<u>राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।</u>

प्रायः यह देखा जा रहा है कि मण्डी परिषद के सम्भागीय कार्यालयों/ निर्माण खण्डों/ प्रदेश की विभिन्न मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारी/ अधिकारी सक्षम अधिकारी की अनुमति तथा समुचित उद्देश्य के बिना मण्डी परिषद मुख्यालय पर आते रहते हैं, जिससे परिषद मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों के नैत्यिक कार्यो के निष्पादन में असुविधा होती है एवं इन कर्मियों द्वारा अपने मुख्यालय पर न रहने के फलस्वरूप सम्भाग/ निर्माण खण्ड/ समिति स्तर पर भी उनसे सम्बन्धित कार्यो का निस्तारण समयबद्ध ढंग से नहीं हो पाता है। यह स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहीं जा सकती है जो आपके पर्यवेक्षकीय शिथिलता का परिचायक है।

कृपया आप अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी कर्मचारी/ अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय न आये एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति भी किसी निर्दिष्ट उद्देश्य से दी गयी हो। यदि कोई भी कर्मचारी/ अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय आता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का उस दिन का वेतन काट दिया जाये तथा सूचना मुख्यालय को प्रेषित किया जाय। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय–समय पर निर्गत परिषदादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझी जायेगी एवं उनके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

आप सभी अवगत है कि शासनादेश दिनांक 27.01.2011 द्वारा मण्डी समिति एवं मण्डी परिषद में दिनांक 29.06.1991 तक कार्यरत गैर नियमित कर्मियों के विनियमितीकरण का आदेश जारी किया जा चुका है जिसके क्रम में उनका विनियमितीकरण वर्तमान में विचाराधीन

है तथा उनके विनियमितीकरण हेतु अभिलेखों का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। ऐसे गैर नियमित कर्मचारी जो बगैर सक्षम स्तर से स्वीकृति के एवं गैर परिषदीय, गैर समिति अथवा गैर शासकीय कार्यो के मण्डी परिषद मुख्यालय आते है एवं अनावश्यक कार्यकलापों में रत है जिससे मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के हित में कदाचित नहीं होगा। अतएव व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर मण्डी समिति/ मण्डी परिषद में ऐसे गैर नियमित कर्मचारी जो अपने कार्य से विरत होकर मुख्यालय से अनावश्यक रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा उनके कारण मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है उनके सम्बन्ध में भी यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रेषित किया जाय ताकि उनका विनियमितीकरण करते समय इस तथ्य को संज्ञानित करते हुए यह मत स्थिर किया जा सके कि उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद/ मण्डी समिति हित में होगा अथवा नहीं ?

उपर्युक्त आदेश का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
4. समस्त उप निदेशक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
5. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
6. समस्त सचिव, मण्डी समिति, उत्तर प्रदेश।
7. जनसंपर्क अधिकारी/ केयर टेकर, मण्डी परिषद मुख्यालय। मण्डी परिषद मुख्यालय के अलावा यदि कोई कर्मचारी अनावश्यक रूप से मुख्यालय पर उपस्थित पाया जाता है तो तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया जाय।

(राजेश कुमार सिंह) 24.02.11
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

☎ 2720383
2720384

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश,

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः निदे0कैम्प/2011- 13 दिनांकः 24.02.2011

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)/ निर्माण/ (वि0यां0)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि मण्डी परिषद के सम्भागीय कार्यालयों/ निर्माण खण्डों/ प्रदेश की विभिन्न मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारी/ अधिकारी सक्षम अधिकारी की अनुमति तथा समुचित उद्देश्य के बिना मण्डी परिषद मुख्यालय पर आते रहते हैं, जिससे परिषद मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों के नैत्यिक कार्यो के निष्पादन में असुविधा होती है एवं इन कर्मियों द्वारा अपने मुख्यालय पर न रहने के फलस्वरूप सम्भाग/ निर्माण खण्ड/ समिति स्तर पर भी उनसे सम्बन्धित कार्यो का निस्तारण समयबद्ध ढंग से नहीं हो पाता है। यह स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहीं जा सकती है जो आपके पर्यवेक्षकीय शिथिलता का परिचायक है।

कृपया आप अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी कर्मचारी/ अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय न आये एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति भी किसी निर्दिष्ट उद्देश्य से दी गयी हो। यदि कोई भी कर्मचारी/ अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय आता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का उस दिन का वेतन काट दिया जाये तथा सूचना मुख्यालय को प्रेषित किया जाय। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर निर्गत परिषदादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझी जायेगी एवं उनके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

आप सभी अवगत है कि शासनादेश दिनांक 27.01.2011 द्वारा मण्डी समिति एवं मण्डी परिषद में दिनांक 29.06.1991 तक कार्यरत गैर नियमित कर्मियों के विनियमितीकरण का आदेश जारी किया जा चुका है जिसके क्रम में उनका विनियमितीकरण वर्तमान में विचाराधीन

है तथा उनके विनियमितीकरण हेतु अभिलेखों का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। ऐसे गैर नियमित कर्मचारी जो बगैर सक्षम स्तर से स्वीकृति के एवं गैर परिषदीय, गैर समिति अथवा गैर शासकीय कार्यो के मण्डी परिषद मुख्यालय आते है एवं अनावश्यक कार्यकलापों में रत है जिससे मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के हित में कदाचित नहीं होगा। अतएव व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर मण्डी समिति/ मण्डी परिषद में ऐसे गैर नियमित कर्मचारी जो अपने कार्य से विरत होकर मुख्यालय से अनावश्यक रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा उनके कारण मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है उनके सम्बन्ध में भी यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रेषित किया जाय ताकि उनका विनियमितीकरण करते समय इस तथ्य को संज्ञानित करते हुए यह मत स्थिर किया जा सके कि उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद/ मण्डी समिति हित में होगा अथवा नहीं ?

उपर्युक्त आदेश का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

(राजेश कुमार सिंह) 24.02.11
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
4. समस्त उप निदेशक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
5. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
6. समस्त सचिव, मण्डी समिति, उत्तर प्रदेश।
7. जनसंपर्क अधिकारी/ केयर टेकर, मण्डी परिषद मुख्यालय। मण्डी परिषद मुख्यालय के अलावा यदि कोई कर्मचारी अनावश्यक रूप से मुख्यालय पर उपस्थित पाया जाता है तो तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया जाय।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

☎ 2720383
2720384

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश,

"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः निदे0कैम्प/2011– 13 दिनांकः 24.02.2011

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)/ निर्माण/ (वि0यां0)
<u>राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।</u>

प्रायः यह देखा जा रहा है कि मण्डी परिषद के सम्भागीय कार्यालयों/ निर्माण खण्डों/ प्रदेश की विभिन्न मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारी/ अधिकारी सक्षम अधिकारी की अनुमति तथा समुचित उद्देश्य के बिना मण्डी परिषद मुख्यालय पर आते रहते हैं, जिससे परिषद मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों के नैत्यिक कार्यो के निष्पादन में असुविधा होती है एवं इन कर्मियों द्वारा अपने मुख्यालय पर न रहने के फलस्वरूप सम्भाग/ निर्माण खण्ड/ समिति स्तर पर भी उनसे सम्बन्धित कार्यो का निस्तारण समयबद्ध ढंग से नहीं हो पाता है। यह स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहीं जा सकती है जो आपके पर्यवेक्षकीय शिथिलता का परिचायक है।

कृपया आप अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी कर्मचारी/ अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय न आये एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति भी किसी निर्दिष्ट उद्देश्य से दी गयी हो। यदि कोई भी कर्मचारी/ अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय आता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का उस दिन का वेतन काट दिया जाये तथा सूचना मुख्यालय को प्रेषित किया जाय। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय–समय पर निर्गत परिषदादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझी जायेगी एवं उनके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

आप सभी अवगत है कि शासनादेश दिनांक 27.01.2011 द्वारा मण्डी समिति एवं मण्डी परिषद में दिनांक 29.06.1991 तक कार्यरत गैर नियमित कर्मियों के विनियमितीकरण का आदेश जारी किया जा चुका है जिसके क्रम में उनका विनियमितीकरण वर्तमान में विचाराधीन

है तथा उनके विनियमितीकरण हेतु अभिलेखों का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। ऐसे गैर नियमित कर्मचारी जो बगैर सक्षम स्तर से स्वीकृति के एवं गैर परिषदीय, गैर समिति अथवा गैर शासकीय कार्यो के मण्डी परिषद मुख्यालय आते है एवं अनावश्यक कार्यकलापों में रत है जिससे मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के हित में कदाचित नहीं होगा। अतएव व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर मण्डी समिति/ मण्डी परिषद में ऐसे गैर नियमित कर्मचारी जो अपने कार्य से विरत होकर मुख्यालय से अनावश्यक रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा उनके कारण मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है उनके सम्बन्ध में भी यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रेषित किया जाय ताकि उनका विनियमितीकरण करते समय इस तथ्य को संज्ञानित करते हुए यह मत स्थिर किया जा सके कि उनका विनियमितीकरण किया जाना मण्डी परिषद/ मण्डी समिति हित में होगा अथवा नहीं ?

उपर्युक्त आदेश का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

24.02.11

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
4. समस्त उप निदेशक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
5. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
6. समस्त सचिव, मण्डी समिति, उत्तर प्रदेश।
7. जनसंपर्क अधिकारी/ केयर टेकर, मण्डी परिषद मुख्यालय। मण्डी परिषद मुख्यालय के अलावा यदि कोई कर्मचारी अनावश्यक रूप से मुख्यालय पर उपस्थित पाया जाता है तो तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया जाय।

(राजेश कुमार सिंह) 24.02.11
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0